संख्या वे0 3 भत्ता-01/2009 4225 वि.(2), पटना, दिनांक 20.04.2010

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषय: राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प, सं0-9333 दिनांक 06.10.09 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.07.2009 के प्रभाव से 27 प्रतिशत की दर से महगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जुलाई, 2009 से किया जा रहा है ।

(2) भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक 1(3)/2009-E II (B) दिनांक-26.03.2010 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को, दिनांक-01.01.2010 के प्रभाव से महगाई भत्ता की दर 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

(3) तदनुसार राज्य सरकार ने पुनरीक्षित वेतनमान मे वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों को दिनांक 01.01.2010 के प्रभाव से पुनरीक्षण वेतनमान में अतिरिक्त 8 (आठ) प्रतिशत अर्थात 27 (सत्ताइस) प्रतिशत से बढ़ाकर 35 (पैंतीस) प्रतिशत महगाई भत्ता के रूप मे स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड पे के योग के आधार पर महँगाई भत्ता आकलित किया जायगा तथा इसमे विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

महगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायगा ।

उपर्युक्त महगाई भत्ते की राशि का भुगतान नगद किया जायगा ।

(4) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप में कर दिया जायेगा ।

(5) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

<u>आदेश:</u> आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/

(रवीन्द्र पवांर)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक 3ए-3-भत्ता-01/2009 4225 वि.(2), पटना, दिनांक--20.04.2010

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(रवीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक 3ए-3-भत्ता-01/2009 4225 वि.(2), पटना, दिनांक- 20.04.2010

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(रवीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक 3ए-3-भत्ता-01/2009 4225 वि.(2), पटना, दिनांक--20.04.2010

प्रतिलिपि- अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/उप सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग/वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं इससे उच्चतर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(रवीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक 3ए-3-भत्ता-01/2009 4225 वि.(2), पटना, दिनांक--20.04.2010

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(रवीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक 3ए-3-भत्ता-01/2009 4225 वि.(2), पटना, दिनांक--20.04.2010

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग, शाखा-3ए को उपलब्ध करायी जाए ।

20.4.10

(रवीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

DY-~~GM~~ GM-Gen-(10-11)-152

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009 - 453

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांक -17.01.2011

विषय: अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को मंहगाई भत्ता की दरों में दिनांक-01.07.2010से संशोधन के फलस्वरूप दिनांक-01.07.10 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-5015 दिनांक 12.05.2010 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान मे वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01.01.2010 के प्रभाव से 87 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1(3)/2008-EII(B) दिनांक- 29.09.2010 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01.01.2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक- 01.07.10 से 87 प्रतिशत से बढ़ाकर 103 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों को मंहगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर एवं तिथि से करती है ।

4. अतः केन्द्रीय कर्मियों के सदृश्य अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक 01.07.2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

(क) दिनांक 01.01.06 के पूर्व दिनांक 01.01.96 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों को जिनको दिनांक 01.01.05 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, दिनांक- 01.07.2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 87 प्रतिशत से बढ़ाकर 103 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) मंहगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

क्रमशः

(ग) मंहगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(च) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रुप से कर दिया जाएगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

ह0/-

(मदन मोहन प्रसाद)
विशेष सचिव,वित्त विभाग

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 453 पटना, दिनांक :- 17.01.2011

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(मदन मोहन प्रसाद)
विशेष सचिव,वित्त विभाग

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 453 पटना, दिनांक :- 17.01.2011

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(मदन मोहन प्रसाद)
विशेष सचिव,वित्त विभाग

कृपया पृ0 3 पर

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 453 पटना, दिनांक :- 17.01.2011

प्रतिलिपि- वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं इससे उच्चत्तर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । ह0/-

(मदन मोहन प्रसाद)
विशेष सचिव,वित्त विभाग

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 453 पटना, दिनांक :- 17.01.2011

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय ।

17/01/2011

(मदन मोहन प्रसाद)
विशेष सचिव,वित्त विभाग

ज्ञापांक-वि0प0स्था0-17/2000-7342 /वि0प0।पटना, दि. 15/2/

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ कार्यालय लेखा प्रभार सहायक, लेखा शाखा-।/ कार्यालय स्थापना प्रभारी सहायक, स्थापना वर्ग-1, 3 एवं 4/ अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद्/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/2/2011

ह विश्वनाथ ठाकुर ह
उप सचिव
बिहार विधान परिषद् ।

A. G. B.
18 FEB 2011
PATNA

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009 - 3531, दि0 - 25.04.2011

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से 45 प्रतिशत के स्थान पर 51प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-12500 दिनांक 04.11.2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.07.10 के प्रभाव से 45 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जुलाई 2010 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-1(2)/2011-E-II (B) दिनांक-24.03.2011 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के कर्मियों को देय मंहगाई भत्ता की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 45 प्रतिशत के स्थान पर 51 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाय ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जायगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा ।

(iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का भुगतान नगद किया जाएगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

4. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

ह0/-

(मदन मोहन प्रसाद)

विशेष सचिव,वित्त विभाग

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 3531 पटना, दिनांक :- 25.04.2011

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(मदन मोहन प्रसाद)

विशेष सचिव,वित्त विभाग

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 3531 पटना, दिनांक :- 25.04.2011

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/04/2011

(मदन मोहन प्रसाद)

विशेष सचिव,वित्त विभाग

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009 - 9633 वि0, दिनांक- 18.10.2011

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-3531वि0 दिनांक 25.04.2011 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2011 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-1(14)/2011-EII (B) दिनांक - 03.10.2011 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के कर्मियों को देय मंहगाई भत्ता की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाय ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा ।

(iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

4. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 9633 वि0, पटना, दिनांक :- 18.10.2011

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 9633 वि0, पटना, दिनांक :- 18.10.2011

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/10/11

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

18.10.11

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009 - 4736वि0, दिनांक- 02.05.2012

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

विषय :- राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से 58 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-9633वि0 दिनांक 18.10.2011 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से 58 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जुलाई 2011 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-1(1)/2012-E II (B) दिनांक-03.04.2012 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के कर्मियों को देय मंहगाई भत्ता की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 58 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाय ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा ।

(iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

4. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 4736 वि0 पटना, दिनांक :- 02.05.2012

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 4736 वि0 पटना, दिनांक :- 02.05.2012

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Arun kumar singh 2.5.12

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009 -15577, दिनांक- 02.11.2012

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-4736वि0 दिनांक 02.05.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2012 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं01(8)/2012-संस्था-II (ख) दिनांक-28.09.2012 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाय ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा ।

(iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

4. माह नवम्बर, 2012 के वेतन से इस बढ़े हुए मंहगाई भत्ता के दर को जोड़कर वेतन भुगतान किया जायेगा और 01.07.2012 से लेकर अक्टूबर तक की मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान नवम्बर, 2012 माह के वेतन के भुगतान के बाद किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2.11.12

(अरूण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 15577 वि0 पटना, दिनांक :- 02.11.2012

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-**5357/वि0**

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांकः-**27/05/2013**

विषयः- **राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/01/2013 के प्रभाव से 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०-15577, दिनांक- 02.11.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/07/2012 के प्रभाव से 72 की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जुलाई, 2012 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं०-1(2)/2013-E.II(B), दिनांक25.04.13 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/01/2013 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के दिनांक- 01/01/2013 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाय।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा।

(iii) मंइगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

4. इस बढ़े हुए मंहगाई भत्ता के दर को जोड़कर दिनांक-01/01/2013 से भुगतान किया जायेगा।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-**5357/वि0** पटना, दिनांकः-**27/05/2013**

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-**5357/वि0** पटना, दिनांकः-**27/05/2013**

प्रतिलिपिः-महामहिम राज्यपाल के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-**5357/वि0** पटना, दिनांकः-**27/05/2013**

प्रतिलिपिः-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जायं।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-**5357/वि0** पटना, दिनांकः-**27/05/2013**

प्रतिलिपिः-प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-10555-वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांकः- 09/10/2013

विषयः-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/07/2013 के प्रभाव से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5357, दिनांक- 27/05/2013 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/01/2013 के प्रभाव से 80 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०-1-8/2013-E.II(B), दिनांक 25/09/2013 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/07/2013 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक- 01/07/2013 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) मंइगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक-01/07/2013 से भुगतेय है और इसका भुगतान अक्टूबर, 2013 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2013 के वेतन के भुगतान के बाद अर्थात् नवंबर माह में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-**10555-वि0** पटना, दिनांकः-09/10/2013

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-**10555-वि0** पटना, दिनांकः-09/10/2013

प्रतिलिपिः-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे०पु० (भत्ता)–08/2013–10555–**वि0** पटना, दिनांकः–09/10/2013

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह0/–

(**प्रभात शंकर**)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे०पु० (भत्ता)–08/2013–10555–**वि0** पटना, दिनांकः–09/10/2013

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(**प्रभात शंकर**)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-4567-वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांकः-28/05/2014

विषयः-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/01/2014 के प्रभाव से 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-10555, दिनांक- 09/10/2013 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/07/2013 के प्रभाव से 90 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०-1(1)/2014-E.II(B), दिनांक 27/03/2014 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/01/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक- 01/01/2014 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) मंइगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक-01/01/2014 से भुगतेय है जिसका भुगतान मई, 2014 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह मई, 2014 के वेतन के भुगतान के बाद अर्थात् जून माह में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश-- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4567-वि0 पटना, दिनांकः-28/05/2014

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.5.14

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-9555-वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांकः-17/10/2014

विषयः-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/07/2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4567, दिनांक- 28/05/2014 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/01/2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०-1/2/2014-E.II(B), दिनांक 18/09/2014 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 107 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक- 01/07/2014 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) मंइगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक-01/07/2014 से भुगतेय है और इसका भुगतान अक्टूबर, 2014 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह नवंबर, 2014 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

विशेष सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-9555-वि0 पटना, दिनांकः-17/10/2014

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

विशेष सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-9555-वि0 पटना, दिनांकः-17/10/2014

प्रतिलिपिः-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.10

(प्रभात शंकर)

विशेष सचिव, वित्त विभाग ।

GM-G-(15.16)-24 ...

(52) (79)

संख्या–3ए–3–वे०पु०–(भत्ता)–08/2013–4725–वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

A.G.B. PATNA

पटना, दिनांकः–25/05/2015

विषयः–राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक–01/01/2015 के प्रभाव से 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०–9555, दिनांक– 17/10/2014 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक–01/07/2014 के प्रभाव से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०–1/2/2015–ई–II (बी) दिनांक–10/04/2015 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक–01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर को 107 प्रतिशत से बढ़ाकर 113 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक– 01/01/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

290615/40129

4. इस बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक-01/01/2015 से भुगतेय है। इसका भुगतान जून, 2015 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जुलाई, 2015 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश-- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4725-वि0 पटना, दिनांकः-25/05/2015

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4725-वि0 पटना, दिनांकः-25/05/2015

प्रतिलिपिः-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4725-वि0 पटना, दिनांकः-25/05/2015

प्रतिलिपिः-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4725-वि0 पटना, दिनांकः-25/05/2015

प्रतिलिपिः-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3 कृ०–बजट–विविध–07/2014 3125 /कृ०, पटना, दिनांकः – 25/6/2015

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/ निदेशक पी०पी०एम०/ सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/ नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी /सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/उप निदेशक (शष्य) प्रसार–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विश्वासभाजन

24/6/15

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\year -2014\october\22-10-2014.docx

ज्ञापांक– 3125 /कृ०, पटना, दिनांकः – 25/6/2015

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 3125 /कृ०, पटना, दिनांकः – 25/6/2015

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

24/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-7923/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांकः-09/09/2015

विषयः- राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4729, दिनांक- 25/05/2015 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09/09/2015 को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई राहत की दर को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत किया गया है ।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।

(iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महंगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

4. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-**7923/वि0** पटना, दिनांकः-09/09/2015

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-7923/वि0 पटना, दिनांकः-09/09/2015

प्रतिलिपिः-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/9/15

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-7923/वि0 पटना, दिनांकः-09/09/2015

प्रतिलिपिः-सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एक्जीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यू०को० बैंक, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम. ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फेजर रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/9/15

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-7923/वि0 पटना, दिनांकः-09/09/2015

प्रतिलिपिः-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय ।

7/9/15

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे०पु० (भत्ता)–08/2013–**7923/वि0** पटना, दिनांकः–**09/09/2015**

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/9

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे०पु० (भत्ता)–08/2013–**7923/वि0** पटना, दिनांकः–**09/09/2015**

प्रतिलिपिः–प्रभारी ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग, प्रशाखा–3ए को उपलब्ध करायी जाए ।

9/9

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

GM/Gen/16-17/32 d/6-25

संख्या-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

2 7 JUN 2016

सचिव

पटना, दिनांक:-

विषयः- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दि०-01/01/2016 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-1214, दिनांक-16/02/2016 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से 234 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक सं०-1(3)/2008-ई-II (बी) दि0- 22/04/2016 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 234 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 245 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है–

(क) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 234 प्रतिशत से बढ़ाकर 245 प्रतिशत किया जाता है ।

(ख) महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) महंगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/बिना वैयक्तिक दावा निर्धारण [illegible]या प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से [illegible] जाएगा ।

6. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बि[illegible] कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अंतर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार [illegible] ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

(68)

ज्ञापांकः-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 4990-A पटना, दिनांकः- 22/6/16

प्रतिलिपिः-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता/ राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय ।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः- वि0प0स्था0-12/1999 (पेंन) 1734 (2) दिनांकः-18-7-16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (ले0 एवं ह0)बिहार पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ कार्यालय लेखा प्रभारी सहायक लेखा-I/कार्यालय स्थापना प्रभारी सहायक स्थापना वर्ग-I, 3 एवं 4/अवर सचिव, (निकासी एवं व्ययन)/प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, चौथा तल्ला पेंशन प्रभार अंटाघाट, महेन्द्रू पटना/बिहार विधान परिषद, उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी लेखा/ कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रामअवतार
11.07.2016
(राम अवतार ठाकुर)
अवर सचिव,
बिहार विधान परि-द् ।

20.7.16

संख्या-3ए-2-वेoपुo-(भत्ता)-08/2013-..9385../विo

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-09/12/2016

विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से 125 प्रतिशत के स्थान पर 132 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संo-3575, दिनांक-03/05/2016 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से 125 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संo- 1/3/2008-E-II (B) दिनांक- 09/11/2016 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर को 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 132 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियो/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. राज्य सरकार द्वारा दिo-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर राज्य कर्मियों को पुनरीक्षण-पूर्व का वेतन प्राप्त हो रहा है।

5. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षण-पूर्व वेतन में 125 प्रतिशत के स्थान पर 132 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(ii) पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में प्राप्त बैड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

6. इस बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक-01/07/2016 से भुगतेय है और इसका भुगतान दिसम्बर, 2016 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जनवरी, 2017 में किया जायेगा ।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **9385/वि०** पटना, दिनांक:-09/12/2016

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **9385/वि०** पटना, दिनांक:-09/12/2016

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **9385/वि०** पटना, दिनांक:-**09/12/2016**

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **9385/वि०** पटना, दिनांक:-**09/12/2016**

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

संख्या-3ए-2-वेoपुo-(भत्ता)-08/2013..3166../वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- 05/05/2017

विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-9385, दिनांक-09/12/2016 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से 132 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1(3)/2008-E.-II(B), दिनांक-07/04/2017 के द्वारा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमानों में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 132 प्रतिशत से बढ़ाकर 136 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. राज्य सरकार द्वारा दि०-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर राज्य कर्मियों को पुनरीक्षण-पूर्व का वेतन प्राप्त हो रहा है।

5. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से पुनरीक्षण-पूर्व वेतन में 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।

(ii) पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में प्राप्त बैड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

6. इस बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक-01/01/2017 से भुगतेय है और इसका भुगतान मई, 2017 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जून, 2017 में किया जायेगा ।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-3166/वि० पटना, दिनांक:-05/05/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-3166/वि० पटना, दिनांक:-05/05/2017

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-3166/वि० पटना, दिनांक:-05/05/2017

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-**8391**/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**25.10.2017**

विषयः- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/07/2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-3ए-2-वे०पु०-09/2016-3590/वि० दिनांक-24/05/2017 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/04/2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/9/2017-E-II(B) दिनांक-20/09/2017 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2017 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाएगा।

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण

कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/07/2017 से भुगतेय है और इसका भुगतान नवम्बर, 2017 के वेतन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह दिसम्बर, 2017 में किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **8391/वि०** पटना, दिनांक:-**25.10.2017**

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **8391/वि०** पटना, दिनांक:-**25.10.2017**

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **8391/वि०** पटना, दिनांक:-**25.10.2017**

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान

सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **8391/वि०** पटना, दिनांक:-**25.10.2017**

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

Pen-01(Gen) Dy-197 (2018-19)

98

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-.....3250..../वि०

G7/Gen/18-19/21
dt-11/05/18

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**04/05/2018**

विषय:- **पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से 5 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०-8392, दिनांक-25/10/2017 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से 5 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1/1/2018-E-II(B) दिनांक-15/03/2018 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2018 के प्रभाव से 5 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय,

CR Pl. circulate immediately 11/5/18

3A\DA_Pensioner 7%_Jan 2018 /Anil

100518H0906

पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वी
से देय होगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगि
को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त
औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिह
कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ह
राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है
कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त
करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत
बैकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार,
बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य
के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत
भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक-01/01/2018 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय
पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान
की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय।
ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **3250/वि०** पटना, दिनांक:-**04/05/2018**

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/05

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

3A\DA_Pensioner 7%_Jan 2018 /Anil

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-.....7828...../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-24/10/2018

विषय:- **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०-3249, दिनांक-04/05/2018 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1/2/2018-E-II(B) दिनांक-07/09/2018 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. **उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय** लिया है कि-

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/07/2018 से भुगतेय है और इसका भुगतान अक्टूबर, 2018 के वेतन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2018 में किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **7828/वि०** पटना, दिनांक:-**24.10.2018**

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

may be circulated to all
GE Section.
01/11/18

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013- **2265** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**06/03/2019**

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-7828, दिनांक-24/10/2018 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 9 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1/2019-E-**II**(B) दिनांक-27/02/2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. **उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-**

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक-01/01/2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

(vi) जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक के बकाये राशि का भुगतान दिनांक-01/04/2019 के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में होगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/01/2019 से भुगतेय है और इसका भुगतान मार्च, 2019 के वेतन में जोड़कर किया जा सकेगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **2265/वि०** पटना, दिनांक:-**06.03.2019**

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

संख्या-3ए-2-वेoपुo-(भत्ता)-08/2013- 8655 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक: 24/10/2019

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2266, दिनांक-06/03/2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1/2019-E-II(B) दिनांक-27/02/2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8655 /वि० पटना, दिनांक:- 24.10.19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।